न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	मुकदमा नं.– 94/2025 प्रा.पत्र स्थानान्तरण उनवान – शिम्भूदयाल व अन्य बनाम उदयसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.04.2026	अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनील कुमार शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद उनवानी उदयसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि दावा उद्घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रर्थाना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है। जो न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकई में विचाराधीन है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी आई जारी कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी से साझ व मिलीभगत कर रखी है। तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 1 व 2 को उप जिला कलक्टर बांदीकुई के आवास व चैम्बर पर मिलते झुलते देखा है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 गांव में सरेआम कहते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में ही करेंगें। तथा अन्तरिम टी आई को भी कन्फर्म करेंगें। पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक ही जाति के है इसलिए प्रकरण में दिलचस्पी रखते है। तथा अप्राथी संख्या 1 व 2 को नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने पर तुले है। इसलिए प्रार्थीगण को वर्तमान पीठासीन अधिकारी बांदीकुई से न्याय कोई उम्मीद नहीं है इसलिए निष्पक्ष सुनवाई व निष्पक्ष निर्णय हेतु उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण उनवानी उदयसिंह बनाम शिम्भूदयाल आदि वाद संख्या 05/2025 व प्रर्थाना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 04/2025 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई से ना तो कोई साझ कर रखी है। और न ही उनकी उनसे कोई मिलीभगत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकई से कहीं भी कभी भी नहीं मिले हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वृद्धजन है। तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त साझ व मिलीभगत व शीघ्र निर्णय व अन्तरिम टी आई कन्फर्म किये जाने वाली बात मनगढंत व निराधार है। क्योंकि प्रार्थीगण के पिता द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत करकें बिना किसी अन्तरण, हस्तान्तरण व बिना किसी विधिक आधार के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि में स्वंय के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवा ली है। तथा अब प्रकरण में देरी करने की वजह से तथा उक्त प्रकरण में निर्णय टालने के इरादें से व प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पीठासीन अधिकारी एक ही जाति के है तथा प्रकरण में दिलचस्पी रखने व नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने का तथ्य गलत पेश किया गया है। क्योंकि प्रकरण में अभी तक जो भी कार्यवाहीया पत्रावाली पर हुई है वह विधि अनुरूप है। अविधिक कार्यवाही हुई हो ऐसा ना तो अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया है और न ही इस बाबत कोई सबूत पेश किया गया है। उक्त वाद प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार दोनो पक्षों के साक्ष्य लिया जाना शेष है। तत्पश्चात् बहस के बाद ही प्रकरण का निस्तारण हो सकेगा। अप्राथीगण संख्या 1 व 2 वृद्धजन है तथा ज्यादा चलने क्रमश.....	

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

फिरने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में अन्य स्थानों पर आने जाने को मजबूर होना पडेगा। तथा शारिरीक व मानसिक रूप से परेशान होना पडेगा। उनको होने वाली असुविधा बमुकाबले प्रार्थीगण ज्यादा होगी। प्राथीगण द्वारा प्रकरण में देरी करने के इरादे से व अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो खारिज फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण को एक पक्षीय रूप से सुना जाकर प्रकरण में अंकित वाद ग्रस्त भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखने, खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बहस में नियत चल रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण का उद्देष्य प्रकरण में अनावश्यक देरी किया जाना प्रतीत होता है। यदि माननीय न्यायालय उक्त पत्रावली को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित करना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण लम्बे समय से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस में नियत चल रहा है एवं प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्यायल की उम्मीद नहीं होने के कारण यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बे समय से लम्बित रहने की स्थिति को मध्य नजर रखते हुये प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 05/2025 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 04/2025 उनवानी शिम्भूदयाल बनाम उदयसिंह को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई से न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर सिकराय उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का शीघ्र नियमोचित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अधिवक्ता उभयपक्ष दिनांक 12.05.2026 को वास्ते सुनवाई न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति उप जिला कलक्टर बांदीकुई एवं उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/4/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा